अध्याय IV : कोयला मंत्रालय

कोयला खान भविष्य निधि सगंठन

4.1 ऊर्जा प्रभारों का परिहार्य व्यय

मई 2007 में कोयला मंत्रालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कोयला खान भविष्य निधि सगंठन ने अपने मुख्यालय, धनबाद में अपने आवासीय मकानों में बिजली मीटरों को लगाने की कोई पहल नहीं की थी तथा अपने कर्मचारियों को नाममात्र की दरों पर बिजली की आपूर्ति को जारी रखा जिसका परिणाम 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान ₹ 2.16 करोड़ की सीमा तक ऊर्जा प्रभारों की कम वसूली में हुआ।

कोयला खान भविष्य निधि सगंठन (सीएमपीएफओ), एक स्वायत्त निकाय, जिसका धनबाद में अपना मुख्यालय है, की स्थापना कोयला खान भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 के तहत की गई थी।

धनबाद में स्थित सीएमपीएफओ की कार्यालय इमारत तथा आवासीय मकानों हेतु इसकी बिजली आवश्यकता को 350 केवीए के हाईटेंशन (एचटी) इलेक्ट्रीक कनेक्शन, जिसे 408 केवीए तक बढा (अक्टूबर 2013) दिया गया था, के माध्यम से झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबो) से पूरा किया जाता है। कार्यालय तथा आवासीय उद्देश्यों हेतु विद्युत भार का क्रमश: 19.41 तथा 80.59 प्रतिशत पर निर्धारण किया गया था। चूंकि आवासीय मकानों में ऊर्जा खपत को दर्ज करने हेतु कोई अलग मीटर नहीं है इसलिए जेएसईबी सयुंक्त ऊर्जा खपत, जिसमें कार्यालय ईमारत के साथ-साथ आवासीय मकानों की खपत शामिल है, पर बिजली के बिल प्रस्तुत करता है। सीएमपीएफओ, बदले में अपने कर्मचारियों से विभिन्न प्रकार के मकानों हेतु लागू निर्धारित दरों के अनुसार अपनी आवासीय खपत हेतु ऊर्जा प्रभारों की वसूली करता है। सीएमपीएफओ जेएसईबी से विद्युत आपूर्ति की बाधा के दौरान 500 केवीए के अपने स्वंय के डी जी सेटो के माध्यम से अपने आवासीय मकानों को विद्युत बैकअप सुविधा भी प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2015) कि अपने कर्मचारियों से विद्युत प्रभारों की प्रभावी वसूली के लिए सीएमपीएफओ ने आवासीय मकानों में बिजली की वास्तविक खपत को दर्ज करने के लिए कभी मीटर लगाने का कोई लाभकारी कार्य प्रारम्भ नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, सीएमपीएफओ द्वारा आम सुविधाओं हेतु बिजली की खपत का पता लगाने के लिए आज तक कोई निर्धारण नहीं किया था। जनवरी 2010 तक, इसके आवासीय मकानों के बिजली प्रभारों का विभिन्न प्रकार के मकानों हेतु ₹4 से ₹15 प्रति माह की बहुत मामूली दर पर संग्रहण किया जा रहा था। बाद में, सीएमपीएफओ ने फरवरी 2010 से पूर्व प्रभावी विभिन्न प्रकार के मकानों हेतु बिजली प्रभारों की वसूली की निर्धारित दरों का संशोधन (मार्च 2010) किया जो ₹250 से ₹700 प्रतिमाह के बीच थी।

बिजली प्रभारों की वसूली की निर्धारित दरों में ऐसी वृदधि के बावजूद कई वर्षों से आवासीय खपत हेतु जेएसईबी को अदा किए गए ऊर्जा प्रभारों तथा अपने कर्मचारियों से इसकी वसूली में बड़ा अंतर था। अभिलेखों ने प्रकट किया कि 2014-15 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान सीएमपीएफओ ने कार्यालय तथा आवासीय मकानों हेतु बिजली की खपत के प्रति जेएसईबी को ₹3.33 करोड़ अदा किए। आवसीय उद्देश्य हेतु 80.59 प्रतिशत के विद्युत भार को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त वर्षों के लिए आवासीय मकानों में बिजली की खपत हेतु किया गया व्यय ₹2.68 करोड़ (₹3.33 करोड़ का 80.59 प्रतिशत) था। फिर भी, सीएमपीएफओ ने अपने कर्मचारियों से उनकी आवासीय बिजली खपत हेतु 2010-11 से 2014-15 के दौरान वास्तव में ₹0.52 करोड़ का संग्रहण किया था जो फरवरी 2010 से लागू वसूली की निर्धारित दरों पर आधारित था। इस प्रकार, ऊर्जा की आवासीय खपत को दर्ज करने हेतु बिजली के मीटर न लगाने तथा निर्धारित बहुत मामूली दरों पर ऊर्जा प्रभारों के परिणामी संग्रहण के कारण, सीएमपीएफओ ने 2014-15 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान ₹2.16 करोड़ (₹2.68 करोड़- ₹0.52 करोड़) का परिहार्य व्यय किया।

लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2005 का सं. 4 (सिवल) तथा 2008-09 की सीए 15) के माध्यम से कई अवसरों पर मामले को उजागर किया था जिसमें ऐसे परिहार्य व्यय पर आपत्ति जताई गई थी तथा इस प्रत्याशा के साथ कि इसको दोबारा होने से रोकने हेतु उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी, के साथ

संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। ऐसी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रकाश में कोयला मंत्रालय ने सीएमपीएफओ को आवासीय मकानों में बिजली के मीटर लगाने का भी अनुदेश (मई 2007) दिया था तथा निर्देश दिया कि संगठन को अपने स्वंय के स्टाफ तथा अधिकारियों द्वारा उपभोग की गई बिजली पर व्यय को वहन नहीं करना चाहिए। जेएसईबी ने जनवरी/फरवरी 2012 में अपेक्षित आवेदन शुल्क सहित निर्धारित आवेदन प्रपत्र में घरेलू उद्देश्य हेतु अलग मीटर के लिए आवेदन करने हेतु सीएमपीएफओ को अनुरोध भी किया था। फिर भी, सीएमपीएफओ आज तक अपने आवासीय मकानों पर बिजली के मीटर लगाने हेतु जेएसईबी की उपरोक्त आवश्यकता का अनुपालन नहीं कर सका था तथा इसलिए अपने कर्मचारियों से ऊर्जा प्रभारों की कम वसूली अभी भी जारी है।

तथ्यों को स्वीकार करते समय प्रबंधन ने बताया (दिसंबर 2015) कि सीएमपीएफओ ने जेएसईबी, धनबाद को सीएमपीएफओ कालोनी के स्टाफ/ अधिकारियों के सभी 243 आवासीय मकानों हेतु अलग विद्युत वाट बिजली मीटर को लगाने हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र हेतु सिफारिश (नवम्बर 2015) की थी।

इस प्रकार, धनबाद में आवासीय मकानों में बिजली के मीटर लगाने हेतु वर्षों तक सीएमपीएफओ प्रबंधन की ओर से निष्क्रियता तथा उस पर अपने कर्मचारियों से वास्तविक ऊर्जा प्रभारों की वसूली करने में विफलता का परिणाम 2010-11 से 2014-15 तक बिजली की खपत पर ₹2.16 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।

4.2 हैदराबाद में आठ वर्षों से अधिक अवधि तक खाली पड़े कार्यालय स्थल तथा आवासीय परिसर का उपयोग करने में विफलता

जुलाई 2007 में हैदराबाद से गोदावरीखानी में कार्यालय के परिवर्तन से कोयला खान भविष्य निधि सगंठन ने हैदराबाद के सर्वोत्तम स्थान में स्थित अपने खाली कार्यालय स्थल तथा आवासीय परिसर का लाभकारी उपयोग करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी। उन्होने मार्च 2014 से दिसबंर 2015 तक की अवधि के लिए अप्रयुक्त स्थान से ₹66.46 लाख का किराया प्राप्त करने के अवसर को गँवाया।

कोयला खान भविष्य निधि सगंठन (सीएमपीएफओ), एक स्वायत्त निकाय की स्थापना कोयला खान भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 के

तहत की गई थी। इसका मुख्य कार्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु योजना का नियंत्रण, बचतों की भावना को मन में बैठाना तथा सेवानिवृति पर कोयला खान श्रमिकों को अथवा अकाल मृत्यु के मामले में उनके आश्रितों के भविष्य हेतु प्रावधान करना है। सीएमपीएफओ का ट्रस्टी बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है तथा यह कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। सीएमपीएफओ का धनबाद में अपना मुख्यालय है जिसका संचालन पूरे देश में स्थित 24 क्षेत्रीय कार्यालयो के माध्यम से किया जाता है।

हैदराबाद में सीएमपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय ने कोथपेटु हैदराबाद में स्थित एक सर्वोत्तम स्थान, में 1995 दौरान निर्मित अपनी स्थायी कार्यालय ईमारत तथा स्टाफ मकानों, जिसमें 51,230 वर्गफुट का आवृत स्थान शामिल है, से कार्य करना प्रारम्भ किया। सीएमपीएफओ ने कथित सुविधाओं के निर्माण हेतु ₹4 करोड़ की राशि का व्यय किया।

गोदावरीखानी तथा बल्लमपल्ली क्षेत्रों में कार्य कर रहे सिगंरेनी कोलैरिस कम्पनी लिमिटेड (एससीसीएल) के कर्मचारियों के दावों तथा अन्य मामलों के तीव्र निपटान को सरल बनाने के लिए सीएमपीएफओ ने बाद में क्षेत्रीय कार्यालय को हैदराबाद से गोदावरीखानी में ले जाने का निर्णय (मार्च 1999) लिया। नए स्थान पर क्षेत्रीय कार्यालय के संचालन हेतु एससीसीएल ने जूलाई 2007 में सीएमपीएफओ को किराया आधार पर कार्यालय स्थान तथा आवासीय मकानों हेतु अपेक्षित अवसरंचना की सुपुदर्गी की तथा तब से सीएमपीएफओ का क्षेत्रीय कार्यालय गोदावरीखानी से कार्य कर रहा है।

लेखापरीक्षा ने पाया (अप्रैल 2015) कि हैदराबाद से गोदावरीखानी में क्षेत्रीय कार्यालय के स्थान परिवर्तन के पश्चात, सीएमपीएफओ हैदराबाद में उपलब्ध 20,000 वर्ग फुट कार्यालय स्थान में से राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक डाटा संसाधन केन्द्र, सीएमपीएफओ की एक इकाई, के कार्य को चलाने हेतु केवल 10,000 वर्ग फुट कार्यालय स्थान का उपयोग कर रहा था तथा शेष 10,000 वर्ग फुट कार्यालय स्थान अप्रयुक्त रहा। इसी प्रकार, 46 आवासीय मकानों हेतु उपलब्ध 31,229 वर्ग फुट में से केवल 6 मकान (7663 वर्ग फुट) आधिकृत था तथा शेष 23,566 वर्ग फुट खाली रहा क्योंकि अधिभोक्ताओं का गोदावरीखानी में

स्थानांतरण हो गया था। यद्यपि, कार्यालय के स्थान परिवर्तन के पश्चात उपरोक्त अवसरंचना के बाड़े भाग की आवश्यकता नहीं थी तथा अप्रयुक्त रहा फिर भी सीएमपीएफओ ने उसके उपयोग हेतु किसी योजना पर विचार नहीं किया था। परिणामस्वरूप, आठ वर्षों से अधिक के बीत जाने के बावजूद वह अपने स्वंय के प्रयोजन हेतु उपरोक्त खाली स्थान का कोई लाभकारी उपयोग करने में विफल रहा तथा इस तथ्य के बावजूद कि स्थान हैदराबाद के सर्वोत्तम स्थान पर स्थित था, इसने खाली स्थान को किराए पर देने के अवसर का अन्वेषण भी नहीं किया था। केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के 2434 वर्ग फुट के उपयोग हेतु जून 2014 में प्राप्त प्रस्ताव को भी प्रभावशाली रूप से आगे नहीं बढ़ाया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने आगे बढ़ाया कि सीएमपीएफओ के उच्च प्रबंधन ने भी जुलाई 2007 में कार्यालय के स्थान परिवर्तन से कभी भी व्यर्थ कार्यालय तथा आवासीय स्थान के लाभकारी उपयोग की संभाव्यता पर विचार नहीं किया था तथा आज तक सीएमपीएफओ के ट्रस्टी बोर्ड की बैठकों में इसकी कभी चर्चा नहीं की गई थी। 2014-15 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान, सीएमपीएफओ ने हैदराबाद में कार्यालय तथा आवासीय परिसर के लिए अनुरक्षण, सुरक्षा, बिजली तथा जल प्रभारों, नगरपालिका कर आदि हेतु ₹108.09 लाख का व्यय किया था तथा इसी अवधि के दौरान सीएमपीएफओ ने गोदावरीखानी में कार्यालय तथा आवासीय स्थान का अधिग्रहण करने के लिए एससीसीएल को किराए के रूप में ₹25.63 लाख अदा किया। इस प्रकार, सीएमपीएफओ द्वारा निर्मित हैदराबाद में कार्यालय स्थान तथा आवासीय परिसर अनुरक्षण व्यय के कुछ भाग की पूर्ति करने की पूर्वोल्लेखित संभाव्यता के अतिरिक्त आठ वर्षों से अधिक के लिए सगंठन के किसी उद्देश्य को पूरा किए बिना व्यर्थ पड़ा था। इसके अतिरिक्त, सम्पत्ति के यथोचित किराए, जैसा कि मार्च 2014 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अति संतुलित अनुमान द्वारा, निर्धारित किया गया था, के उपलब्ध अभिलेखों पर विचार करते हुए सीएमपीएफओ ने ₹66.46 लाख[1] का किराया, मार्च 2014 से दिसंबर 2015 तक, जब से हैदराबाद के सर्वोत्तम स्थान पर स्थान अप्रयुक्त पड़ा था, पिछले 22 महीनों के लिए परिकलित किया गया, प्राप्त करने के

[1] खाली कार्यालय तथा आवासीय स्थान (10000 वर्ग फुट +23566 वर्ग फुट) ₹9 प्रति वर्ग फुट×22 माह

अवसर को खोया। पहले की अवधि हेतु पुर्वानुमानित किराया स्पष्ट किराया सूची के अभाव में निर्धारित करने योग्य नहीं था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते समय प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2015) कि हैदराबाद कार्यालय की ईमारत को एक प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा तथा इस उद्देश्य हेतु एक विस्तृत प्रस्ताव ट्रस्टी बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रबंधन का तर्क प्रत्यायक नहीं है क्योंकि हैदराबाद में कार्यालय तथा आवासीय परिसर 2007 से खाली पड़ा था तथा पिछले आठ वर्षों के दौरान हैदराबाद में खाली स्थान के लाभकारी उपयोग हेतु कोई लाभदायक कार्य नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में सुविधाओं के लाभकारी उपयोग हेतु सीएमपीएफओ द्वारा की गई पहल के समर्थन में कोई दस्तावेजी प्रमाण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया जा सका था।

इस प्रकार, सीएमपीएफओ की ओर से आठ वर्षों से अधिक के लिए खाली पड़े अपने कार्यालय स्थान तथा आवासीय परिसर का लाभकारी उपयोग करने करने हेतु पहल की कमी के कारण सीएमपीएओ ने हैदराबाद के सर्वोत्तम स्थान पर स्थित अवसरंचना के लाभों से अपने आप को वंचित रखा तथा मार्च 2014 से दिसबंर 2015 तक की अवधि के लिए अप्रयुक्त स्थान से ₹66.46 लाख का किराया प्राप्त करने का अवसर भी खोया।